समक्ष जज: आई. एस. तिवाना और जी. आर. मजीठिया, जे.जे.

एमए/स डेल्टा हैमलिन लिमिटेड, चंडीगढ़ - याचिकाकर्ता

बनाम

चंडीगढ़ प्रशासन, केंद्र शासित प्रदेश,चंडीगढ़ और अन्य -प्रतिवादी।

1990 की सिविल रिट याचिका संख्या 4771

6 सितंबर 1990

वेतन अधिनियम, 1948—एस. 5(1)(बी)- वेतन न्यूनतम का संशोधन, -प्रस्ताव सरकारी राजपत्र में प्रकाशित-सुनवाई की तारीख निर्दिष्ट नहीं—मजदूरी संशोधित—ऐसी अधिसूचना की वैधता।

माना गया कि न्यूनतम मजदूरी तय करने वाली अधिसूचनाएं हल्के ढंग से संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत समिति के गठन में कुछ अनियमितताओं का आधार या समिति द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं होनी चाहिए। इसे याद रखना चाहिए कि समिति केवल एक अनुशंसा निकाय के रूप में कार्य करती है और न्यूनतम मजदूरी तय करने वाली अंतिम अधिसूचना सरकार द्वारा बनाई जाती है। ऐसे देश में जहां मजदूरी पहले से ही न्यूनतम है, न्यूनतम मजदूरी तय करने वाली अधिसूचना में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सबसे महत्वपूर्ण आधारों को छोड़कर हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। यह कानून एक सामाजिक कल्याण कानून है जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है और इसके अनुसार की गई कार्रवाई को केवल तकनीकीताओं के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है।

(पैरा 7)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत सिविल रिट याचिका में प्रार्थना की गई है कि याचिका को आगे की प्रार्थनाओं के साथ स्वीकार किया जाए:

1.उत्तरदाताओं से मामले का पूरा रिकॉर्ड मांगा जाए;

2.एक उपयुक्त रिट या निर्देश या आदेश विशेष रूप से सर्टिओरारी की रिट जारी की जाए जिससे अधिसूचना अनुलग्नक पी-3 आक्षेप को रद्द किया जा सके ;

3. कोई अन्य उपयुक्त रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए जैसा कि यह माननीय न्यायालय समानता और न्याय के हित में मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उचित समझे;

4. कि, उत्तरदाताओं को रिट याचिका की अग्रिम प्रति की आपूर्ति और अनुलग्नकों की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने से मुक्ति दी जाए;

5. याचिका की लागत याचिकाकर्ता को दी जाए;

6. वेतन की न्यूनतम दरों का भुगतान न करने के लिए याचिकाकर्ता पर लागू अधिसूचना और अभियोजन का संचालन आक्षेपित अधिसूचना के अनुसार रोक लगाई जाए।

सिविल विविध. 1990 का क्रमांक 5761

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत आवेदन में प्रार्थना की गई है कि 6 अप्रैल, 1990 को इस माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिकाकर्ता के अभियोजन पर रोक लगाने वाले एकपक्षीय स्थगन आदेश को रद्द किया जाए।

याचिकाकर्ता के वकील आर एल चोपड़ा

आनंद स्वरूप, सीनियर. प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता राजीव विज और अजय तिवारी के साथ अधिवक्ता

निर्णय

आई.एस. तिवाना, जे.

(1)याचिकाकर्ता ने केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा देय मजदूरी की न्यूनतम दरों को संशोधित करने वाली अधिसूचना संख्या 5/10/34-एचIII (4)-90/3268, दिनांक 22 फरवरी 1990, प्रतिलिपि अनुलग्नक पी-3 को चुनौती इस दलील पर दी कि (i) इसे किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया है और (ii) इसके पहले कोई कानूनी या वैध प्रस्ताव नहीं दिया गया है जैसा कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 5(1) (बी) द्वारा परिकल्पित है।

(2) अपने रुख को विस्तार से बताते हुए, विद्वान वकील ने आग्रह किया कि वर्तमान मामले में उपयुक्त सरकार, जैसा कि अधिनियम की धारा 2 (बी) (ii) द्वारा परिकल्पित है, राज्य सरकार थी। उनके अनुसार, न तो केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को राज्य सरकार की संज्ञा दी जा सकती है और न ही प्रशासक के नाम से प्रकाशित अधिसूचना किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित की गई है। (ii) के अनुसार, विद्वान

वकील का कहना है कि आधिकारिक गजट में अधिसूचना के रूप में प्रकाशित कानूनी और वैध प्रस्ताव के अभाव में, जैसा कि धारा 5(1)(बी) द्वारा परिकल्पित है। अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण या संशोधन, जैसा कि अनुबंध पी-3 के तहत किया गया है, दूषित हो गया है। विद्वान वकील के अनुसार, इस मामले में प्रकाशित तथाकथित नोटिस, प्रतिलिपि अनुलग्नक पी-1, दोषपूर्ण थी क्योंकि उपयुक्त सरकार उस तारीख को निर्दिष्ट करने में विफल रही जिस पर न्यूनतम मजदूरी के संशोधन के संबंध में प्रस्ताव पर विचार किया जाना था।

(3)पक्षों के विद्वान वकील की दलीलों और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आलोक में पूरे मामले पर विचार करने के बाद, हम, हालांकि, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के दो तर्कों में से किसी में भी कोई योग्यता नहीं पाते हैं।

4) यह निस्संदेह सच है कि मौजूदा मामले में अनुलग्नक पी-1 और पी-3 जारी करने के लिए उपयुक्त सरकार राज्य सरकार थी, लेकिन विद्वान वकील का रुख था कि चंडीगढ़ प्रशासन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। एक राज्य सरकार के रूप में विवादित अधिसूचनाओं के प्रयोजनों के लिए अनुलग्नक पी-1 और पी-3, पूरी तरह से अस्थिर है। वास्तव में, मामले के इस कानूनी पहलू की जांच हमने हाल ही में पंजाब वित्तीय निगम बनाम केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ और अन्य (1) मामले में औद्योगिक विवादों की धारा 2 (ए) (ii) के संदर्भ में की है। अधिनियम, 1947, उपयुक्त सरकार को परिभाषित करता है, जो परिभाषा अधिनियम की धारा 2(बी)(ii) के समान है। उसमें यह निर्णय दिया गया है कि जब भी किसी केंद्रशासित प्रदेश के संबंध में 'राज्य सरकार' अभिव्यक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो केंद्र सरकार राज्य सरकार होगी।यह बात गॉन सैंपलिंग एम्प्लॉइज एसोसिएशन बनाम जनरल सुपरिंटेंडेंस कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के रूप में रिपोर्ट की गई शीर्ष न्यायालय की नवीनतम आधिकारिक घोषणा के आलोक में कही गई है। लिमिटेड और अन्य (2)। हमने यह भी राय व्यक्त की कि केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ का प्रशासक न केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत अपनी नियुक्ति के आधार पर, भारत के राष्ट्रपति, यानी केंद्र सरकार का एक एजेंट या प्रतिनिधि है, बल्कि सामान्य धारा अधिनियम की धारा 8(बी)(iii) के आधार पर, यदि उसकी कार्रवाई उसे दिए गए या सौंपे गए अधिकार के अंतर्गत आती है, तो उसे केंद्र सरकार द्वारा भी लिया जाना चाहिए या माना जाना चाहिए। हमने आगे भारत सरकार (गृह मंत्रालय) की अधिसूचना संख्या एस.ओ. के आलोक में आयोजित किया। 3269, दिनांक 1 नवंबर, 1966, कि केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ के प्रशासक को उक्त क्षेत्र के संबंध में, 1 नवंबर से किसी भी कानून के तहत राज्य सरकार की शक्तियों और कार्यों का प्रयोग और निर्वहन करने के लिए विधिवत अधिकृत किया गया है। , 1966। पंजाब वित्तीय निगम के मामले (सुप्रा) में हमारी इस घोषणा के आलोक में हमें इस विषय पर और अधिक विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है, सिवाय यह कहने के कि विचाराधीन अधिसूचना को चंडीगढ़ प्रशासन के गृह सचिव द्वारा विधिवत प्रमाणित

(1) सीडब्ल्यूपी नं. 2584 ऑफ 1985 का निर्णय 7 जून 1990 को हुआ।
(2) ए.आई.आर. 1985 एस.सी. 357.

किया गया है। भारत सरकार की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 1675 दिनांक 1 नवंबर 1966, जो अधिकृत करता है ऐसी अधिसूचना को प्रमाणित करने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन के किसी भी विभाग के सचिव/एक उप सचिव/एक अवर सचिव या यहां तक कि एक सहायक सचिव। इस प्रकार हमें अधिसूचना अनुलग्नक पी-3 को जारी करने या प्रकाशित करने या 1 नवंबर, 1989 को नोटिस के रूप में पूर्व अधिसूचना जारी करने, अनुलग्नक पी-1 की प्रति जारी करने में कोई खामी नहीं मिली।

(5)जहां तक ऊपर (ii) में दिए गए याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के रुख का सवाल है, इसे वासुदेवन बनाम केरल राज्य (3) और नरोत्तमदास बनाम के रूप में रिपोर्ट किए गए दो पीठ के फैसलों द्वारा समर्थित करने की मांग की गई है। पी. बी. गौरीकर (4). तर्क यह है कि अधिनियम की धारा 5(1)(बी) के कड़ाई से अनुपालन के अभाव में, न्यूनतम मजदूरी का कोई वैध संशोधन संभवतः नहीं हो सकता है। इस अनुभाग का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

> "इस अधिनियम के तहत पहली बार किसी भी अनुसूचित रोजगार के संबंध में मजदूरी की न्यूनतम दरें तय करने में या इस प्रकार तय की गई मजदूरी की न्यूनतम दरों को संशोधित करने में, उपयुक्त सरकार या तो-
>
> (A)
>
> (B) आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए अपने प्रस्ताव प्रकाशित करता है और एक तारीख जो अधिसूचना की तारीख से दो महीने से कम नहीं, होगी निर्दिष्ट करता है और उस दिन प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।

विद्वान वकील की दलीलों की सराहना करने के लिए, अधिसूचना की सामग्री, यानी अनुलग्नक पी-1 पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

"गृह विभाग अधिसूचना दिनांक 1 नवंबर, 1989, क्रमांक 8/ 10/34-HII(4)-89/21757। धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्या 11) और इस संबंध में उन्हें सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियां, प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़, न्यूनतम मजदूरी दर (सभी समावेशी) के संशोधन के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव प्रकाशित करते हुए प्रसन्न हैं), केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ में निम्नलिखित अनुसूचित रोजगारों के संबंध में, इससे प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्ति की जानकारी के लिए ।

(3) ए.आई.आर. 1960 केरल 67.

(4) ए.आई.आर. 1961 म.प्र. 182

6) सूचित किया जाता है कि उक्त प्रस्ताव पर आपत्ति या सुझाव के साथ, आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो महीने की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा विचार किया जाएगा। जो श्रमायुक्त को प्राप्त हो सकता है। केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़, किसी भी व्यक्ति से ड्राफ्ट के संबंध में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले।

प्रस्ताव

रोज़गार संख्यआ.....

7) संक्षेप में प्रस्तुतीकरण यह है कि उस तारीख के विनिर्देश के अभाव में जिस पर चंडीगढ़ प्रशासन को वेतन संशोधन से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों द्वारा किए गए प्रस्तावों पर आपत्तियों पर विचार करना था, इसे नहीं माना जा सकता है कानूनी या वैध प्रकाशन हो. हालाँकि, एम. प्लांटेशन्स लिमिटेड बनाम केरल राज्य (5) में केरल उच्च न्यायालय की बाद की आधिकारिक घोषणा को ध्यान में रखते हुए हमें इस प्रस्तुति में अधिक देरी करने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने उपरोक्त दो निर्णयों पर भरोसा किया था। पूरी तरह से विचार किया गया है और प्रतिष्ठित किया गया है। इसलिए, हमें इन दो निर्णयों का विस्तृत विश्लेषण दर्ज करना पूरी तरह से अनावश्यक लगता है और हमने पूर्ण पीठ द्वारा व्यक्त की गई राय को सम्मानपूर्वक अपनाने का विकल्प चुना है। पूर्ण पीठ के विद्वान न्यायाधीशों ने अधिनियम की धारा 5(1)(बी) का विश्लेषण करते हुए और ऊपर उल्लिखित दो डिवीजन बेंचों के विद्वान न्यायाधीशों द्वारा व्यक्त की गई राय से असहमति जताते हुए इस प्रकार देखा:

> "हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तिथि का विवरण एक अलग उद्देश्य के लिए है। यह केवल उन लोगों को सूचना देने के माध्यम से है जो अभ्यावेदन दाखिल करने में रुचि रखते हैं कि उन्हें किसी विशेष तिथि से पहले ऐसा करना चाहिए और उन्हें उचित समय सुरक्षित करना चाहिए। उस प्रयोजन के लिए अनुभाग में न्यूनतम अवधि निर्दिष्ट है। ऐसे मामलों में जहां अधिसूचना में प्रतिनिधित्व दाखिल करने का अधिकार अनुभाग में निर्धारित दो महीने से कम की अवधि तक सीमित नहीं है, वहां धारा 5(1) का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है।)(बी)।"

यहां इस बात पर प्रकाश डाला जाना चाहिए कि मौजूदा मामले में भी याचिकाकर्ता ने 29 दिसंबर, 1989 को अपनी आपत्तियां या प्रस्ताव दाखिल किए थे (कॉपी अनुलग्नक पी-2) यानी 22 फरवरी, 1990 की अधिसूचना के प्रकाशन से बहुत पहले, अनुलग्नक पी -3. उपरोक्त पूर्ण पीठ के फैसले में की गई अन्य प्रासंगिक टिप्पणियाँ जिनसे हम पूरी तरह सहमत हैं, इस प्रकार हैं:-

> "प्रस्तावों से प्रभावित होने की संभावना वाले लोगों का अधिसूचना में निर्दिष्ट तिथि से पहले किसी भी समय अभ्यावेदन दायर करने का अधिकार और न्यूनतम मजदूरी तय करने या संशोधित करने के सवाल पर अंतिम निर्णय लेने से पहले ऐसे अभ्यावेदन पर विचार करना सरकार का कर्तव्य प्रतीत होता है। जब धारा 5(1)(बी) के तहत निर्धारित प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है तो हम धारा 5 की प्रक्रियात्मक आवश्यकता की मुख्य सामग्री होते हैं। बेशक, आगे की आवश्यकता यह है कि सलाहकार बोर्ड से परामर्श किया जाना चाहिए। ऐसा परामर्श आवश्यक रूप से प्रस्तावों पर होना चाहिए और इसलिए यह प्रस्तावों के प्रकाशन से पहले के चरण में नहीं हो सकता है। अनुभाग की भाषा या इसकी योजना पर यह मानने का कोई कारण नहीं है कि सलाहकार बोर्ड के साथ परामर्श होना चाहिए अभ्यावेदन की प्राप्ति से पहले। यह मानने का बहुत कम कारण है कि सलाहकार बोर्ड की राय, जो आवश्यक रूप से एक विशेषज्ञ निकाय के

(5) 1976(\) एल.एल.जे. 114

सुविचारित विचारों को प्रतिबिंबित करती होगी, अधिसूचना में निर्दिष्ट तिथि तक या उससे पहले उपलब्ध होगी।इसलिए अधिनियम की धारा 5 में इस शर्त को पढ़ना मुश्किल है कि सरकार, जिसे वह तारीख निर्दिष्ट करनी है जिस दिन प्रस्तावों पर विचार किया जाना है, वह उक्त तारीख पर मामले को अंतिम रूप देने के लिए भी बाध्य है। हालांकि यह कुछ मामलों में संभव हो सकता है, जबकि कई अन्य मामलों में जहां अभ्यावेदन या तो उनकी संख्या के कारण या उठाए गए बिंदुओं के महत्व के कारण समय लेने वाली जांच की मांग करते हैं, यह आमतौर पर सरकार के लिए संभव नहीं हो सकता है। निर्दिष्ट तिथि पर प्रस्तावों पर विचार करना। यह इस तथ्य से अलग है कि सरकार को उस समय तक सलाहकार बोर्ड के विचारों का लाभ नहीं मिल पाएगा। हमें कोई कारण नहीं दिखता कि हमें संकेतित अवांछनीय परिणामों के बावजूद यह क्यों मानना चाहिए कि धारा 5 सरकार को निर्दिष्ट तिथि पर प्रस्तावों पर विचार करने के लिए बाध्य करती है जब प्रावधान की स्पष्ट भाषा ऐसे निर्माण के लिए बाध्य नहीं करती है।“

इसके अलावा, यह विवाद का विषय नहीं है कि अधिनियम की धारा 5 में बताया गया कानून केवल प्रक्रियात्मक है। यह वही है जो श्रम और पुनर्वास मंत्रालय और अन्य बनाम टिफिन्स बैराइट्स एस्बेस्टस एंड पेंट्स लिमिटेड और अन्य (6) के रूप में रिपोर्ट की गई उनकी नवीनतम घोषणा में सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य द्वारा देखा गया है, जिसमें इस तरह के प्रक्रियात्मक कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था या भरोसा किया गया था। न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत प्रकाशित अधिसूचना को रद्द करने के लिए। "हम इस बात पर भी जोर देना चाहते हैं कि समिति के गठन में या समिति द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में कुछ अनियमितताओं के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यूनतम मजदूरी तय करने वाली अधिसूचनाओं में हल्के ढंग से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। यह याद रखना चाहिए कि समिति केवल एक अनुशंसा निकाय के रूप में कार्य करती है और न्यूनतम मजदूरी तय करने वाली अंतिम अधिसूचना सरकार द्वारा बनाई जानी है। ऐसे देश में जहां मजदूरी पहले से ही न्यूनतम है, न्यूनतम मजदूरी तय करने वाली अधिसूचना में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण आधारों को छोड़कर। यह कानून एक सामाजिक कल्याण कानून है जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है और इसके अनुसार की गई कार्रवाई को केवल तकनीकीताओं के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है।''

उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हम याचिकाकर्ता के पक्ष में नहीं हैं और रिट याचिका को खारिज करते हैं, लेकिन लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं ।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सुखवीर कौर
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
हिसार, हरियाणा